दिनांक 19.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

यातायात प्रबन्धन एवं नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एवं Institute of Road Traffic Education College of Traffic Management तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दिनांकः 19.03.2025 से 21.03.2025 तक यातायात कर्मियों तथा सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना करने वाले विवेचकों हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का पुलिस मुख्यालय के चिंतन सभागार में श्री के0 सत्यनारायणा, निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0, श्री बी0डी0 पॉल्सन, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, श्री सुभाष चन्द्र दुबे, पुलिस महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0, श्री अरविन्द कुमार मौर्या, पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0, डॉ. रोहित बलूजा, अध्यक्ष आईआरटीई एवं निदेशक कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, फरीदाबाद, हरियाणा की उपस्थित में शुभारम्भ किया गया।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें मृतकों की संख्या में कमी लाये जाने एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिये यातायात पुलिस तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठन सत्त प्रयासरत है।

विगत 05 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें मृतकों की संख्या के आधार पर चिन्हित किये गये शीर्ष 20 जनपदों (लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली, हरदोई, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहॉपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद, कुशीनगर एवं आजमगढ़) में से प्रत्येक जनपद से 01 उपनिरीक्षक यातायात एवं 01 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पी0डब्लू0डी0) से 02, यूपीडा से 01, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 02 एवं परिवहन विभाग से 05 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रशिक्षण कार्यशाला में आज दिनांकः 19.03.2024 को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित एजेन्सियों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारी, यातायात से सम्बन्धित नियम/कानून, सड़क दुर्घटना जाँच और प्रबन्धन, फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह विषयों पर जानकारी प्रदान की गयी।

Jaipur NH48 Post - Accident Investigation

Data Gathering & Using GPS Technology

जनपद एटा/थाना अलीगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 19.03.2025 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किला रोड़ पर जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आशिफ 2–भूरा घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–हाशिम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशिफ निवासी मोहल्ला अंसार कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा।

2–भूरा निवासी लुहारी दरवाजा कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा।

3–हाशिम निवासी लुहारी दरवाजा कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना इंचौली

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के कापर वायर**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 18/19.03.2025 की रात्रि थाना इंचौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम इंचौली के जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—छोटू उर्फ इम्तियाज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—शाहिद लंगड़ा 3—सोहेल 4—जीवन उर्फ नईम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के कापर वायर, चोरी करने के उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद लंगड़ा के विरूद्ध जनपद मेरठ, हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इंचौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छोटू उर्फ इम्तियाज निवासी लक्खीपुरा थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

2—शाहिद लंगड़ा निवासी लक्खीपुरा थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ हालपता—इंचौली जनपद मेरठ।

3—सोहेल निवासी लक्खीपुरा थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

4—जीवन उर्फ नईम निवासी 60 फुटा रोड थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी के कापर वायर।

2—चोरी करने के उपकरण।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना मेरठ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 846 ग्राम अवैध चरस**
- **02 मोबाइल फोन, नगद रूपये बरामद**

दिनॉकः 18.03.2025 को एएनटीएफ थाना मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पानीपत बाईपास कट, कैराना के फ्लाईओवर कट के पास से थाना कैराना

जनपद शामली से 02 अभियुक्तों 1–सरफराज आलम 2–रंजन कुमार उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 846 ग्राम अवैध चरस, 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना जनपद शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरफराज आलम निवासी ग्राम बबुईयां थाना पलनवा जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार।

2–रंजन कुमार उर्फ आर्यन निवासी बलुआ रमपुरवा थाना बैरिया जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 846 ग्राम अवैध चरस।

2–02 मोबाइल फोन, नगद रूपये।

- **जनपद बदायूं/थाना बिल्सी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्यु दण्ड (फॉसी) की सजा व 02 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना बिल्सी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/137(2)/87/65(2)/238 बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो के अन्तर्गत अभियुक्त जाने आलम उर्फ जैना को **मृत्यु दण्ड (फॉसी)** की सजा व 02 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुरखाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुरखाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बन्टे उर्फ सिराज को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर महोबा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/377 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बिरजू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना अनपरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना अनपरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि की उपधारा 2(1) के अन्तर्गत अभियुक्त बलवन्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————